-1-

227

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

1. मार्तण्ड सिंह तनय श्री प्रभुनाथ सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह तनय श्री मार्तण्ड सिंह

दोनों निवासी ग्राम सिजहटा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

---आवेदकगण

बनाम

1. मध्यप्रदेश राज्य
2. आम जनता ग्राम सिजहटा द्वारा श्री धनंजय सिंह तनय लेखराज सिंह
3. रोहिणी रमण सिंह तनय केदार सिंह
4. दिनेश सिंह तनय जवाहर सिंह

सभी निवासी ग्राम सिजहटा, तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

---अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 538/अपील/2011-12 जो आदेश दिनांक 04.08.16 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04.08.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्गण के द्वारा प्रस्तुत अपील मे उठाए गए बिन्दुओं के आलोक मे जो निष्कर्ष निकाला उसमे वादग्रस्त भूमि को

XXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3145/II/2016 निगरानी

जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदकगण के अधिवक्ता आर.एस.सेंगर उपस्थित, अनावेदक शासन की ओर पैनल अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क श्रवण किये गये यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 538/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि, ग्राम सिजहटा, तहसील रामपुर बाधेलान जिला सतना की भूमि खसरा न. 329 रकवा 1.08 एकड़, 304 रकवा 0.17 एकड़, 364 रकवा 2.05 एकड़, 378 रकवा 1.40 एकड़, 379 रकवा 0.42 एकड़ आवेदकगण के पूर्वाधिकारी के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमी थी। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि मुताविक खतौनी 1958–59 में आवेदकगण के पूर्वज तीरथ सिंह के नाम वतौर खेतिहर दर्ज है। इसी अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को उक्त भूमियों का भूमिस्वामी धोषित किया है लेकिन भूलवश उक्त भूमियों की इत्तिलायबी दर्ज न हो पाने के कारण पूर्व में जो आदेश धारा 57(2) के तहत अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 3 सी/29/98–99 में पारित आदेश दिनांक 28–4–1999 को पारित किया था उसी का	

पालन करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। आमजनता ग्राम सिजहटा के लोग उकत आदेश से कैसे व्यथित है उसका उल्लेख अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय में नहीं किया। और अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–2–2004 व आदेश दिनांक 28–4–1999 के विरूद्ध अपील कैसे श्रवण की गई आमजनता की ओर से प्रस्तुत अपील ग्राह्य व विचारणीय नहीं थी और प्रस्तुत अपील अवधि वाधित थी। तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–4–1999 प्र.क. 3 सी/29/98–99 के आदेश की अपील 18–11–2010 को पेश की गई। आम जनता की ओर से प्रस्तुत अपील में आमजनता की ओर से धनंजय सिंह ने अपील पेश की जबकि धारा–5 म्याद अधिनियम के समर्थन में दिनेश सिंह ने शपथ पत्र दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की अपील कलेक्टर के समक्ष नहीं हो सकती म.प्र.भू राजस्व के प्रावधान के अनुसार द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में होनी चाहियें। अपर कलेकटर ने गलत ढंग से अपील प्रकरण की सुनवाई की जिस आदेश को अपर आयुक्त को निरस्त करना चाहियें था। इस संबंध में न्याय द्वष्टान्त 1992 रा.नि.पेज 65, 1998 रा.नि. पेज 305 व 294 की न्यायिक व्यवस्था विचारणी है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को, प्रस्तुत दस्तावेजो एवं निगरानी मेमो में उल्लेखित तथ्यों पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1999 में धारा 57(2) की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को थी। जिसके तहत

कार्यवाही की गई है। जा विहित रूप से सही थी आमजनता की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि वाधित थी तथा उपरोक्त भूमियां आवेदक के पूर्वाधिकारी के नाम से दर्ज थी। जो पैत्रिक भूमिस्वामी अधिकार की होकर, तथा आवेदकगण का उक्त भूमियों में कब्जा दखल है। मुताबिक ,खतौनी 1958–59 में आवेदकगण के पूर्वज तीरथ सिंह के नाम दर्ज थी। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमियां आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की थी जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने विहित रीति से विधि प्रक्रिया का पालन करके आदेश था। जिसमे हस्तक्षेप करने का कोई आधार विधिमान नहीं होने से निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, रीवा का आदेश दिनांक 4–8–2016 एवं अपर कलेक्टर, सतना का आदेश दिनांक 30–11–11 विधि विरूद्ध होन से निरस्त किया जाकर, अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाधेलान जिला सतना का आदेश दिनांक 27–2–2004 एवं 28–4–1999 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। तथा उक्त भूमियां आवेदकगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर